NRC.

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

30-08-2013

आवेदक **श्री मनोज नाथ,** पिता–श्री चन्द्रदेव सिंह, सा0–पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, क्वार्टर सं0–22, न्यू बहादुरपुर, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–04/2001 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–30.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–30.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सरकारी ठीकेदार हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–286/गो0, दिनांक–07.02.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, सुलतानगंज के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, सुलतानगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सरकारी ठीकेदार हैं। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन इस आशय पर दिया गया है कि उन्हें अब कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को बिना जाँच किये गये वापस किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पता–पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, क्वार्टर सं0–22, न्यू बहादुरपुर, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना हर संभव प्रयास के बावजूद आवेदक से सम्पर्क नहीं हो सका। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मनोज नाथ, पिता–श्री चन्द्रदेव सिंह, सा0–पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, क्वार्टर सं0–22, न्यू बहादुरपुर, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।